बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

22/02/2023

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)–नालंदा–33/2022 1713 **पटना, दिनांक**:–

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 398–। दिनांक 07.11.2022 द्वारा सुश्री लवली तिवारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01178) के विरूद्ध कार्य में अभिरूची नहीं लेने, धीमी गति से कार्य करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु भेजा गया था।

प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4300 दिनांक 02.12.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में निदेशालय मुख्यालय स्तर पर नालंदा जिला के लिए नामित्त नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया है।

आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं नोडल पदाधिकारी के मंतव्य का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि आरोपित पर सर्वेक्षण कार्य में विलंब करने का आरोप है। साथ ही आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया है, जो इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप को प्रमाणित करता है।

अतः सर्वेक्षण कार्य में किए गए विलंब एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के दृष्टिगत 02 माह के मानदेय कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सुधार नहीं लाने अथवा गलती की पुनरावृति करने पर सेवा समाप्त कर दिया जाएगा।

22/2/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)–नालंदा–33/2022 1713 **पटना, दिनांक** :– 22/02/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री लवली तिवारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01178), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)–नालंदा–33/2022 1713 **पटना, दिनांक** :– 22/02/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)–नालंदा–33/2022 1713 **पटना, दिनांक** :– 22/02/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/2/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप